



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

## दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

### THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्क/161

दिनांक: 13 मई 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 - लघु एवं मध्यम उद्यमों और अन्य पात्र उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त ऋण सहायता**

हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 शुरू की है।

यह योजना निम्नलिखित के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है:

- MSMEs के लिए 100%
- गैर-एमएसएमई और एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90%

पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर उत्पन्न अल्पकालिक तरलता असंतुलन को दूर करने के लिए पात्र उधारकर्ताओं को प्रदान की गई अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के तहत डिफॉल्ट राशि के लिए गारंटी कवर सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) को दिया जाता है।

योजना से संबंधित विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश परिशिष्ट I में दिए गए हैं। इस योजना का प्रबंधन और संचालन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा किया जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों (पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध) को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

**आधिकारिक सूचना** : [https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260513115355.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260513115355.pdf)

**परिचालन दिशानिर्देश** : [https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260513115430.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260513115430.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार,

भारती परवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लेक्सकौन्सिल